

Tree Cutting Permission Manual

User Manual for Registration of Application for Tree Cutting Permission

(वृक्ष काटने की अनुमति के लिए आवेदन के पंजीयन हेतु दिशा-निर्देश)

A. Please be aware of the following important information before applying.

(कृपया आवेदन करने से पूर्व आवश्यक निम्न जानकारी से अवगत हों।)

- ✓ आवेदन कर्ता का समग्र आईडी एवं e-KYC पूर्ण होना अनिवार्य है।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्र में निजी भूमि पर खड़े वृक्ष को गिराने / काटने हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- ✓ जिस भूमि पर खड़े वृक्ष को गिराने/ काटने हेतु आवेदन किया जा सकता है। उस भूमि को पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। एवं उस भूमि से संबंधित समस्त देयक राशि का भुगतान ग्राम पंचायत को करना अनिवार्य है।
- ✓ वृक्षों की जानकारी भू-अभिलेख पोर्टल पर अपडेट होना अनिवार्य है।


B. Tree Cutting Permission Application Process

(पेड़ काटने की अनुमति आवेदन प्रक्रिया)

1.1 पंचायत दर्पण के आनलाइन सर्विसेज मेनू में **Tree Cutting Permission** ऑप्शन पर क्लिक करें।




The screenshot shows the homepage of the Panchayat Darpan 2.0 portal. At the top, there is a navigation bar with links for Home, About Us, Instructions, Documents, Media, Citizen Section, Online Services (which is currently selected and highlighted in green), MIS, and a login link. The main content area features a banner for 'पंचायत दर्पण 2.0' and a sub-banner for 'गोपनीयता एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश'. Below the banner, there are images of a smartphone and a laptop displaying the portal's interface. On the right side, there is a photograph of a building with a sign that reads 'ग्राम पंचायत बहुदङ्गा बड़क' and 'ग्राम पंचायत बहुदङ्गा बड़क' below it. A green arrow points from the 'Tree Cutting Permission' link in the menu to this photograph.



The screenshot shows the 'Tree cutting permission management' section of the portal. At the top, there is a banner with the text 'Plant trees, save lives; they give us air, shade, and hope. Protect forests today for a greener tomorrow.' Below the banner, there is a message: 'A tree should only be cut down in circumstances where its removal is absolutely necessary. Here are some valid reasons.' and 'Cutting down trees should always be the last resort. Priority should be given to conservation, maintenance and transplantation.' At the bottom, there are two buttons: 'Apply For Tree Cutting Permission' and 'Check Status Of Application'. A watermark for 'Activate Windows' is visible in the bottom right corner.

Tree Cutting Permission Manual

1.2 वृक्ष काटने की अनुमति हेतु आवेदन करने के लिए **Apply for Tree Cutting Permission पर क्लिक करें।**



पंचायत दर्पण 2.0
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश

Tree cutting permission management

Home Tree Cutting Permission Application +

HOME > **Apply For Tree Cutting Permission** IN PROCESS

Check Status Of Application

"Plant trees, save lives; they give us air, shade, and hope. Protect forests today for a greener tomorrow."

A tree should only be cut down in circumstances where its removal is absolutely necessary. Here are some valid reasons 


Cutting down trees should always be the last resort. Priority should be given to conservation, maintenance and transplantation.

 [Apply For Tree Cutting Permission »](#)

 [Check Status Of Application »](#)

Activate Windows

1.3 आवेदन करने से पूर्व आवश्यक निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर पुष्टि करें।



मध्यप्रदेश सरकार पंचायतराज मंत्रालय
GOVERNMENT OF MP MINISTRY OF PANCHAYATRAJ

पंचायत
पंचायत एवं ग्रामीण

कृपया आवेदन करने से पूर्व आवश्यक निम्न जानकारी से अवगत हों

1. ग्रामीण क्षेत्र में निजी भूमि पर खड़े वृक्ष को गिराने / काटने हेतु आवेदन करें।

2. आवेदन कर्ता का समग्र आईडी एवं KYC पूर्ण होना अनिवार्य है।

3. जिस भूमि पर खड़े वृक्ष को गिराने / काटने हेतु आवेदन किया जा रहा है उस भूमि को पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। एवं उस भूमि से संबंधित समस्त देयक राशि का भुगतान ग्राम पंचायत को करना अनिवार्य है।

4. भूमि पर खड़े वृक्ष की जानकारी भू-अभिलेख पोर्टल पर पंजीकृत सुनिश्चित करें।


Ok, I Understand

Home Tree Cutting Permission

HOME > REGISTER TREE CUTTING PERMISSION

Samagra Sardary आईडी *:

Search Reset



मध्यप्रदेश सरकार पंचायतराज मंत्रालय
GOVERNMENT OF MP MINISTRY OF PANCHAYATRAJ

पंचायत दर्पण 2.0
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश


Tree cutting permission management

Home Tree Cutting Permission Application +

HOME > REGISTER TREE CUTTING PERMISSION

समग्र सदस्य आईडी *:

Enter Samagra Id

Enter Captcha Code shown 

Enter Captcha

Search Reset

Tree Cutting Permission Manual

1.4 समग्र सदस्य आईडी एवं सुरक्षा कोड दर्ज करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर व्यक्तिगत जानकारी, eKYC स्थिति, पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज संपत्ति विवरण की जानकारी प्रदर्शित होगी।

1.5 जिस भूमि/ संपत्ति के खसरे में स्थित वृक्ष को काटने / गिराने की अनुमति चाहिए, उसे चुनकर संपत्तिधारक की जानकारी की पुष्टि कर Get Khasra Details बटन पर क्लिक करें।

Tree Cutting Permission Manual

1.6 भू-अभिलेख पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार खसरा विवरण प्रदर्शित होगा। भूमिस्वामी, मोबाईल नंबर, ईमेल आइडी (वैकल्पिक) आदि दर्ज कर गिराए जाने वाले वृक्षों की संख्या प्रविष्टि करें एवं Preview and save details बटन पर क्लिक करें।

वृक्ष कटाई की अनुमति हेतु आवेदन का विवरण

भू-अभिलेख पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार खसरा विवरण

खसरा नंबर : 95/1	लिता : हरदा	तहसील : हरदा (01)	ग्राम : भूत्रास (LGDCode-482074)
भूमिस्वामी :	<input type="text"/>	भूमिस्वामी : <input type="text"/>	माता /पिता/ पति का नाम : देवराज
खसरे पर उपलब्ध वृक्ष की संख्या (भू-अभिलेख पोर्टल से प्राप्त) : 12		खसरा अनुसार वृक्षों का विवरण : साल (2), नीम (4), आम (1), जामुन (2), पीपल (3)	
मोबाईल नंबर :	<input type="text"/>	ईमेल आइडी (वैकल्पिक) :	<input type="text"/>
		Enter	

गिराये जाने वाले वृक्षों का विवरण

#	वृक्षों का नाम	वृक्षों की संख्या	गिराए जाने वाले वृक्षों की संख्या प्रविष्टि करें	चूने
1	आम	1	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	जामुन	2	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	नीम	4	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	पीपल	3	गिराये जाने की अनुमति नहीं है।	
5	साल	2	गिराये जाने की अनुमति नहीं है।	

खसरे पर उपलब्ध वृक्ष की संख्या (भू-अभिलेख पोर्टल से प्राप्त) : 12

अनुमति हेतु वैध वृक्षों की संख्या : 07

आवेदक द्वारा गिराए जाने की अनुमति हेतु वर्णित वृक्षों की संख्या : 3

[Preview and save details](#)

Activate Window

[Go to Settings to edit](#)

1.7 अपने आवेदन संबंधी जानकारी की पुष्टि कर Save Details बटन पर क्लिक करें।

वृक्ष कटाई हेतु आवेदन का विवरण

आवेदक की जानकारी (समग्र पोर्टल से प्राप्त)		
समग्र आई.डी. : <input type="text"/>	समग्र नाम : <input type="text"/>	माता /पिता/ पति का नाम : ---
पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज संपत्ति विवरण		
संपत्ति आइडी : 49XXXX42	ग्राम : AMARPUR (Census Code-482074)	
मोबाईल नंबर : <input type="text"/>	ईमेल आइडी :	
संपत्तिधारक : <input type="text"/>		
संपत्ति का पता : amarpur		
खसरा विवरण (भू-अभिलेख पोर्टल से प्राप्त)		
खसरा नंबर : 95/1	भूमिस्वामी : <input type="text"/>	माता /पिता/ पति का नाम : <input type="text"/>
क्षेत्रफल/रक्कवा : 3.638 Acre	तहसील : हरदा (01)	ग्राम : भूत्रास (LGDCode-482074)
गिराए जाने की अनुमति हेतु वृक्षों की विवरण		
आवेदक द्वारा गिराए जाने की अनुमति हेतु वृक्ष का विवरण : नीम (1), जामुन (1), आम (1)		
आवेदक द्वारा गिराए जाने की अनुमति हेतु वृक्ष की संख्या : 3		
खसरे पर उपलब्ध वृक्ष की संख्या (भू-अभिलेख पोर्टल से प्राप्त) : 12		

Enter Captcha
Code shown

Enter Captcha

Save Details

Cancel

Tree Cutting Permission Manual

1.8 आपका आवेदन सफलता पूर्वक दर्ज होने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लिया जा सकता है।

आवेदन शुल्क, ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करें। आवेदन शुल्क भुगतान पश्चात आवेदन को पटवारी के अभिमत हेतु प्रेषित किया जावेगा। पटवारी अभिमत प्राप्त होने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश सरकार पंचायतराज मंत्रालय
GOVERNMENT OF MP MINISTRY OF PANCHAYATIRAJ

 पंचायत दर्शन 2020
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश

 LOGIN 

 एक कलम लालचला करे और
संचय भारत

Tree cutting permission management

Home Tree Cutting Permission Application +

HOME > आवेदन की स्थिति

वृक्ष कटाई हेतु आपका आवेदन सफलता पूर्वक दर्ज कर लिया गया है।
आपका आवेदन क्रमांक 19 है।

** कृपया भविष्य में उपयोग के लिए आवेदन क्रमांक नोट करें।

आवेदन के लिए प्रति आवेदन शुल्क ₹100 का भुगतान ग्राम पंचायत को करना होगा। इसके पश्चात इसे पटवारी के अभिमत हेतु प्रेषित किया जाएगा। पटवारी का अभिमत प्राप्त होने के उपरांत, पंचायत कार्यालय द्वारा आवेदन पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

आवेदन की स्थिति देखने हेतु यहाँ क्लिक करें। »  

Print 

ग्राम पंचायत गुनगा, वैरसिया, जिला भोपाल
वृक्ष कटाई हेतु अनुमति

आवेदन क्रमांक :- 18 दिनांक :- 03/04/2025

आवेदक का विवरण

समग्र आई.डी. :-	नाम :-	पिता/ पति का नाम :-
खसरा क्रमांक :- 12/2	क्षेत्रफल :- 4.38	जिला :- भोपाल
जनपद पंचायत :- वैरसिया	ग्राम पंचायत :- ग्राम पंचायत गुनगा	ग्राम/एलजीडी कोड :- गुनगा (482299)
मोबाइल नंबर :- XXXXXXXX7701	ई-मेल आई.डी. :-	

वृक्ष का विवरण (जिनको काटने या गिराने की अनुमति चाही गई हो)

#	प्रजाति का नाम (सामान्य एवं वानस्पतिक नाम)	खसरा अनुसार भूमि पर वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या जिनके काटने या गिराने की अनुमति दी गई है
1	नीम	4	2
2	आम	1	1

भुगतान शुल्क का विवरण

भुगतान शुल्क की स्थिति :- Pending	भुगतान शुल्क (रुपये में) :- 100
-----------------------------------	---------------------------------

स्थिति :- Registered, Pending for Application Fee Payment


NIC 03/04/2025 12:01:06 

Tree Cutting Permission Manual


C. Check Status of Application

(आवेदन की स्थिति देखने हेतु)

1.1 आवेदन की स्थिति देखने हेतु **Check Status of Application** ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं।



1.2 आवेदनक्र. दर्ज करने के बाद आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।



#	संपर्क आईडी	खसरा नं.	आवेदक का नाम	माता/पिता/ पति का नाम	मोबाइल नंबर	खसरा अनुसार वृक्षों की संख्या	गिराए जाने वाले वृक्षों की संख्या	स्थिति	पृष्ठ विवरण /प्रिंट
1	496140	12/2	भरोसा	रामराज	XXXXXXXXXX7701	12	3	Registered, Pending for Application Fee Payment	 

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.